भारत के राजपत्र, असाधारण भाग - 1, खण्ड - 1 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली 10011

सार्वजनिक सूचना सं0 19 /2009-2014 (आर ई 2010)
नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010

विषयः- वीकेजीयूवाई स्कीम के तहत अंगूरों के निर्यात के लिए अतिरिक्त 2% ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप ।

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किया गया है -

प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 का परिशिष्ट 37क उन निर्यात मदों को सूचीबद्ध करता है जो विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) के तहत लाभों का दावा करने के पात्र हैं। इस परिशिष्ट की तालिका 2 विशेष वीकेजीयूवाई उत्पादों को सूचीबद्ध करती है, जो उन्हें अतिरिक्त 2% लाभ का हकदार बनाती है । शुरू में इसमें 19 प्रविष्टियाँ थीं, परंतु विलोपन/संशोधन के बाद केवल 3 प्रविष्टियों को मौजूदा समय में 2% अतिरिक्त लाभ के लिए अनुमत किया गया है। अब इसमें निम्नानुसार 20वीं प्रविष्टि (जो कि वास्तव में चौथी प्रविष्टि होगी) को शामिल किया जाना अपेक्षित है :-

क्रम सं0	**वीकेजीयूवाई उत्पाद कोड**	**आईटीसी (एचएस)**	**मदें**
20	20	0806	ताजे या सूखे अंगूर

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :

आई टी सी एचएस कोड 0806 के तहत शामिल अंगूर के निर्यातक, वीकेजीयूवाई स्कीम के तहत सामान्य दर के अलावा 2% के अतिरिक्त ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के हकदार हैं । यह **इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तिथि से अथवा उसके बाद किए गए निर्यातों पर लागू होगा।**

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/650/ए एम 11/पीसी-3 से जारी)